मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

इस विषय पर पूर्व में जारी आदेश क्र. 1, 2 एवं क्र. 3 जारी किए गए है।
आदेश क्र.1–(3695 दि. 16.4.2010) एवं आदेश क्र. 2 (3697) दि. 16.4.2010 आदेश क्र. 3 (4413) दि. 30.4.2010 आदेश क्र. 4 (4415) दि. 30.4.2010

क्र. 9336/योजना/ए.आर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल,दिनांक 09/09/10

आदेश क्रमांक 05

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला समस्त

2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक।
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के लिए वित्त प्रबंधन।

1. प्रस्तावना :

उपरोक्त विषय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रोप्लान अवधारणा पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में यह पाचवा आदेश है। इस आदेश में ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के लिए लागू वित्तीय प्रबंधन का विवरण है।

अनुरोध है कि इस आदेश को गार्ड नस्ती में रखा जावे।

2. वित्त प्रवाह प्रक्रिया एवं लेखांकन व्यवस्था :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)– मध्यप्रदेश के अंतर्गत ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान पर होने वाले व्यय के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

2.1 ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान पर होने वाले व्यय के नियम शासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल एवं अशासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल (एन.जी.ओ.) पर समान रूप से लागू होंगे।

2.2 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) द्वारा माईक्रोप्लान के कामों को क्रियान्वयन ऐजेन्सी (पंचायत तथा पी.आई.ए.) की पात्रतानुसार वर्गीकृत किया जावेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना क्रियान्वयन दल एवं ग्राम पंचायत को पात्रतानुसार राशियां निर्गमित की जावेंगी एवं व्यय करने वाली संस्था (पंचायत तथा पी.आई.ए.) परिणामों (Outcome) के लिए उत्तरदायी होगी।

2.3 (अ). पी॰आई॰ए॰ को परिषद् द्वारा अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक–पृथक दो खाते खोलने होंगे। इनमें से एक खाता पी॰आई॰ए॰ को देय प्रशासनिक मद की राशि के लिये तथा दूसरा खाता कार्य मद की राशि के लिये होगा। इन दोनों ही खातों में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सीधे राशि प्रदाय की जायेगी। पी॰आई॰ए॰ को इन दोनों ही खातों का पृथक–पृथक हिसाब रखना होगा और नियमानुसार उनका लेखांकन करना होगा। इन दोनों ही खाता एवं तत्सबधी अभिलेखों का अवलोकन परिषद् की ओर से अधिकृत सक्षम अधिकारी समय–समय पर करेंगे। खातों के लेखांकन एवं अभिलेखीकरण का दायित्व संबंधित पी॰आई॰ए॰ का होगा। खातों का संचालन परियोजना अधिकारी तथा उनके दल के अन्य सक्षम सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा। यही प्रक्रिया एन॰जी॰ओ॰ पी॰आई॰ए॰ द्वारा भी अपनाई जावेगी। खातों का संचालन सक्षम अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकेगा।

(ब). ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के क्रियान्वयन में ग्राम एंचायत के द्वारा खातों का संधारण राशियों का निर्गम एवं व्यय इत्यादि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटो स्कीम (मनरेगा) नियमों के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

2.4 माईक्रोप्लान की सकल लागत का 5 प्रतिशत प्रशासनिक मद के अन्तर्गत सम्पूर्ण परियोजना अवधि के लिये प्रावधानित है। इस राशि का अधिकतम एक प्रतिशत कार्ययोजना बनाने (अवधि तीन माह) पर तथा अधिकतम चार प्रतिशत माईक्रोप्लान क्रियान्वयन (अवधि तीन वर्ष) के लिए प्रावधानित है। परिपत्र दो के पेरा 3.6 के अनुसार, माईक्रोप्लान की कार्ययोजना बनाने का मानक व्यय रू. 60,000 (साठ हजार मात्र) प्रति 500 हक्टेयर अर्थात एक सौ बीस रुपये प्रति हैक्टर है, पर पी॰आई॰ए॰ को देय राशि उक्तानुसार उद्धृत एवं माईक्रोप्लान योजना की सकल लागत के एक प्रतिशत दोनों में से जो कम होगी तक सीमित होगी। परियोजना क्रियान्वयन की तीन वर्षीय अवधि में देय सकल प्रशासनिक राशि, परियोजना पर हुये सकल व्यय के समानुपातिक होगी तथा इसी प्रावधानित राशि के अर्न्तगत, परियोजना अधिकारी को अपने कार्यो के अतिरिक्त पंचायत के द्वारा किए जा रहे माइक्रोप्लान के कार्यो का सहयोग/मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। ग्राम पंचायत को दिये सहयोग/मार्गदर्शन के लिये पृथक स कोई राशि देय नही है। यदि किसी अवधि में प्रशासनिक व्यय पर अधिक राशि व्यय होती है तो आगामी किश्त में अधिक खर्च हुई राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि ही प्रदान की जावेगी। पी॰आई॰ए॰ को माइक्रोप्लान बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के लिए देय राशियों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत का उदाहरण अनुलग्नक एक की तालिका एक (अ) तथा अनुलग्नक दो की तालिका एक (ब) में दर्शाया गया है।

2.5 (अ). शासकीय पी॰आई॰ए॰ द्वारा प्रशासनिक मद में प्राप्त राशि से वेतन को छोड़कर, शेष देयकों यथा, यात्रा देयक, स्टेशनरी, संचार व्यवस्था (प्रतिमाह 1000/– अधिकतम), वाहन किराया इत्यादि नियमानुसार देय होंगे। अशासकीय पी॰आई॰ए॰ को प्रशासनिक मद से प्राप्त राशि परियोजना अधिकारी एवं क्रियान्वयन दल के सदस्यों के वेतन भत्ते, चौकीदार एवं भृत्य, कार्यालय का किराया, स्टेशनरी, संचार व्यवस्था (प्रतिमाह 1000/– अधिकतम), वाहन किराया इत्यादि देय होंगे।

(ब) ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की कार्ययोजना बनाने की अवधि 3 माह तथा उसके क्रियान्वयन की अधिकतम अवधि 3 साल है अत: निर्धारित सीमाओं के अंदर वाहन किराये पर होने वाला सकल व्यय अधिकतम तीन साल के लिये होगा। इस कार्यो हेतु मात्र एक वाहन ही शासकीय नियमानुसार लिया जा सकेगा। तथा संबंधित पी.आई.ए. प्रमुख वाहन

सचालन हेतु जिम्मेदार होगा। जिले में उक्त वाहन के किराये की दर जिला पचायत द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगी।

(स) संक्षेप में, माइक्रोप्लान की कार्ययोजना तैयार करने के लिए योजना की सकल लागत का अधिकतम एक प्रतिशत एवं कार्ययोजना क्रियान्वयन अवधि में योजना लागत का अधिकतम 4 प्रतिशत देय होगा।

(द) माइक्रोप्लान की कार्ययोजना तैयार करने के लिए शासकीय अधिकारी को क्षेत्र चयन एवं टीम गठित होने के तत्काल बाद अनुसंलग्नक–1 अनुसार राशि प्रदत्त की जा सकेगी। कार्य योजना बनाने के लिए शासन के नियमों के अंतर्गत वाहन किराए पर लिया जा सकता है। यदि किसी अन्य स्रोत से शासकीय अधिकारी को वाहन उपलब्ध है तो इस मद में वाहन किराये पर नही लिया जायेगा।

(ड़). अशासकीय परियोजना अधिकारी को कार्ययोजना तैयार करने के लिए राशियों का निर्गम आदेश क्रमांक 4 के साथ जारी अनुबंध पत्र के पैरा 10 (3) के अनुसार पूर्व में वर्णित किया जा चुका है। उसका पालन किया जावे। पी.आई.ए. को माइक्रोप्लान बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के लिए देय राशियों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत का उदाहरण अनुलग्नक एक की तालिका एक (अ) तथा अनुलग्नक दो की तालिका एक (ब) में दर्शाया गया है।

2.6 ग्राम समूह के माइक्रोप्लान की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया–

अ. माइक्रोप्लान का त्रिस्तरीय अनुमोदन – प्रत्येक ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की तीन वर्षीय कार्ययोजना का अनुमोदन ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। तदोपरान्त, अनुमोदित कार्य योजना का अनुमोदन जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत से कराया जावेगा। यह कार्य पी.आई.ए. द्वारा कराया जावेगा।

ब. तकनीकी स्वीकृति – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के त्रिस्तरीय अनुमोदन अर्थात माईक्रोप्लान के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित होने के उपरान्त, तीन वर्षीय कार्ययोजना को जिला पचायत द्वारा, पूर्व से गठित जिला स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा ग्राम स्तरीय इकजाई माइक्रोप्लानों को तकनीकी परीक्षण उपरान्त, इकजाई स्वीकृति दी जावेगी।

कार्यवार तकनीकी स्वीकृति – पी. आई. ए. द्वारा संपादित किये जाने वाले पांच लाख रूपये तक के प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति परियोजना अधिकारी द्वारा तथा पांच लाख से अधिक लागत वाले कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा दी जावेगी।

ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य के संबंध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) में प्रचलित शासकीय निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी।

प्रशासकीय स्वीकृति – तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य के संबंध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) में प्रचलित शासकीय निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

इन स्वीकृतियां की प्रतिलिपि म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, जिला पंचायत तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी को भेजी जावेगी। सम्बन्धित परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृतियाँ तथा स्वीकृत कार्ययोजना की प्रतिलिपि, सम्बन्धित पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी। इस प्रति में गांव में स्वीकृत कार्यों के स्थलों को खसरा मेप पर दर्शाया जावेगा।

2.7 ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की क्रियान्वयन अवधि 3 वर्ष है। कार्ययोजना की तकनीकी तथा प्रशासकीय स्वीकृत जारी होने के तत्काल बाद विकारा कार्यों के लिए राशियां 6 किश्तों में जारी की जावेगी। प्रथम वर्ष के पहले 6 माह में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए प्रथम किश्त की अग्रिम राशि जारी की जावेगी। इस किश्त के 60 प्रतिशत के उपयोग उपरांत पी॰आई॰ए॰ द्वारा नवीन किश्त जारी करने हेतु मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में माँग, उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के साथ जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत की जावेगी। अनुमोदन उपरान्त, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मनरेगा निधि जिले खाते से, स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, राशि, अनिवार्य रूप से सात दिवस के अंदर पी॰आई॰ए॰ के खाते में जमा कराई जावेगी। यही प्रक्रिया शेष 05 किश्तों के लिए भी अपनाई जावेगी। यह प्रकिया शासकीय व अशासकीय पी॰आई॰ए॰ के लिए एक जैसी होगी। पीआईए एवं पंचायत को माइक्रोप्लान क्रियान्वयन के लिए देय राशियों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत का उदाहरण अनुलग्नक २, तालिका एक (स) में दर्शाया गया है।

2.8 क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए एवं ग्राम पंचायत) द्वारा लेखा संधारण किया जावेगा, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार होगा। माइक्रोप्लान योजना के लिए केशबुक, व्हाउचर, डेबिट दयक, केडिट लेजर, चेक रजिस्टर, बैंक रिकंसीलेशन रजिस्टर, आय–व्यय पत्रक, बैलेंस शीट एवं नियमानुसार सभी रजिस्टर संधारित किए जावेंगे।

3. <u>भुगतान व्यवस्था –</u>
मनरेगा अधिनियम के प्रावधानानुसार अकुशल श्रमिक को सभी भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किए जावेंगे। शेष, समस्त भुगतानों के लिये शासकीय नियमों का पालन किया जावेगा।

4. <u>एम॰आई॰एस॰ व्यवस्था –</u> मनरेगा अधिनियम में एम॰आई॰एस॰ का पावधान है। पी.आई.ए. को उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करना होगा।

5. <u>लेखा परीक्षण व्यवस्था :–</u>
कार्यो का लेखा परीक्षण वैधानिक आडिट–महालेखाकार, चॉर्टर्ड एकाउंटेन्ट लेखाकार अन्य प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा किया जायेगा। समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने, चार्टर्ड अकाउन्टेंट से लेखा परीक्षण कराने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने इत्यादि की जिम्मेदारी पी॰आई॰ए॰ की होगी। इसी तरह, आगामी किश्त प्राप्त करने के लिये मांग पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पीआईए की होगी।

6. <u>विविध –</u>

6.1 संबंधित पी॰आई॰ए॰ द्वारा यदि किसी भी प्रकार से शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया है या अमानत में खयानत की है या शासकीय धन या सम्पत्ति का नुकसान, दुर्विनियोजन आदि वित्तीय अपराध किये गये हैं तो उन के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

6.2 एक गतिविधि के लिए निर्धारित धनराशि दूसरी गतिविधि में व्यय नहीं की जा सकेगी। विषयांकित कार्य में प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत डी.पी.आर. बनाना एवं कार्यालयीन व्यय एवं कार्ययोजना क्रियान्वयन संबंधी गतिविधियां हैं।

6.3 प्रत्येक कार्य को माइक्रोप्लान में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार संपादित करने का उत्तरदायित्व पी॰आई॰ए॰ का होगा। पी.आई.ए. द्वारा प्रदाय किए जाने वाले तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के अभाव में यदि इस कार्य में चूक या त्रुटि सिद्ध होती है तो परिषद् की अनुमति से कार्य को निर्धारित मापदंण्डों के अनुरूप ठीक कराया जायेगा एवं उस पर हुए व्यय की राशि एवं निर्धारित दाण्डिक धनराशि की वसूली संबधित पी.आई.ए. से की जावेगी।

6.4 यदि पी॰आई॰ए॰ ने ऐसे कारण या परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं जिनके कारण शेष कार्यों को अन्य किसी संस्था या विभाग से कराना अपरिहार्य होगा तो ऐसी स्थिति में उन के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

आर. परशुराम
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 9337 /योजना/एनआर–1/एनजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 09/09/10

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
4. संचालक, राजीव गांधी वाटरशेड मिशन, विंध्यांचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्न–एक

ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लान के अन्तर्गत कार्ययोजना बनाने के लिये राशियों के निर्गम का मार्गदर्शी सिद्धान्त

जिला कार्यक्रम समन्वयक के अनुमोदनोपरान्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा परियोजना अधिकारी (शासकीय/अशासकीय) के खाते में माईक्रोप्लान बनाने के लिये तालिका एक (अ) के अनुसार राशियों का निर्गम किया जावेगा। यह निर्गम मात्र 3 माह के लिये है तथा इस राशि का व्यय केवल माईक्रोप्लान बनाने से सम्बन्धित मदों (कंडिका 2.4) पर ही किया जावेगा। इस मद में देय वास्तविक राशि की गणना कार्य योजना की सकल लागत (कार्य) के आधार पर की जावेगी। परंतु इसकी वित्तीय सीमा माइक्रोप्लान की कार्य योजना बनाने का मानक व्यय रूपये 60 हजार प्रति 500 हेक्टेयर अर्थात 120 रूपये प्रति हेक्टेयर या माईक्रोप्लान योजना की सकल लागत के एक प्रतिशत दोनों में से जो कम होगी तक सीमित होगी। इस प्रकार देय राशि निम्नानुसार प्रदाय की जा सकेगी।

तालिका एक (अ)

क्रियान्वयन संस्था	किस्त का सरल क्रमांक	किस्त प्रदान करने की तिथि
अ. शासकीय पी.आई.ए. ब. अशासकीय पी.आई.ए. (एन.जी.ओ.)	अ. प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) ब. प्रथम किस्त (50 प्रतिशत)	अ. दल के गठन के उपरान्त ब. अनुबन्ध होने के तत्काल बाद
अ. शासकीय पी.आई.ए. ब. अशासकीय पी.आई.ए. (एन.जी.ओ.)	अ.द्वित्तीय किस्त (30 प्रतिशत) ब.द्वित्तीय किस्त (30 प्रतिशत)	अ. प्रथम किस्त देने के 45 दिन बाद ब. – तदैव –
अ. शासकीय पी.आई.ए. ब. अशासकीय पी.आई.ए. (एन.जी.ओ.)	अ. तृत्तीय किस्त (20 प्रतिशत) ब. तृत्तीय किस्त (20 प्रतिशत)	अ. प्लान की स्वीकृति के एक माह के अन्दर ब. – तदैव –

टीप – कार्य योजना की स्वीकृति उपरान्त, इस मद में शेष बची राशि जिला पंचायत को वापिस की जावेगी।

अनलग्न—दो

माइक्रो प्लान के क्रियान्वयन की तीन वर्षीय अवधि में पी.आई.ए. को प्रशासनिक मद में देय राशियों के निर्गम का मार्गदर्शी सिद्धान्त

जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा शासकीय पी॰आई॰ए॰/अशासकीय पी॰आई॰ए॰ (एन॰जी॰ओ॰) के परियोजना अधिकारी के, प्रशासनिक मद के खाते में तालिका एक (ब) के अनुसार राशियों का निर्गम प्रचलित/निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जावेगा। वास्तविक राशियों की गणना सकल रकबे के आधार पर की जावेगी।

तालिका एक (ब)

वर्ष	किस्त	प्रतिशत
प्रथम वर्ष	प्रथम एवं द्वित्तीय किस्त (साल में दो बार)।	माईक्रो प्लान योजना की सकल लागत के चार प्रतिशत का 34 प्रतिशत (दो समान किस्तों में)
द्वित्तीय वर्ष	तृत्तीय एवं चतुर्थ किस्त (साल में दो बार)	माईक्रो प्लान योजना की सकल लागत के चार प्रतिशत का 33 प्रतिशत (दो समान किस्तों में)
तृत्तीय वर्ष	पांचवी एवं छटवीं किस्त।	माईक्रो प्लान योजना की सकल लागत के चार प्रतिशत का 33 प्रतिशत (दो समान किस्तों में)

टीप — योजना समाप्ति पर अवशेष राशि जिला पंचायत को वापिस की जावेगी।

अनुलग्न– तीन

ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लान के अन्तर्गत कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिये राशियों के निर्गम का मार्गदर्शी सिद्धान्त

जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक माइक्रोप्लान के कामों का परीक्षण कर, उन्हें क्रियान्वयन ऐजेन्सी (पी॰आई॰ए॰ तथा पंचायत) की पात्रता के आधार पर वर्गीकृत कर, प्रावधानित कार्यों के लिये, ऐजेन्सीवार राशियों का निर्गम नीचे दी गई तालिका एक (स) में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जावेगा। प्रत्येक ऐजेन्सी अपने हिस्से के कार्य सम्पन्न करेगी तथा सम्पन्न कार्यों की गुणवत्ता तथा परिणाम के लिये उत्तरदायी होगी। राशियों का निर्गम जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जावेगा। वास्तविक राशियों की गणना सकल रकबे के आधार पर की जावेगी।

तालिका एक (स)

वर्ष	किस्त प्रदाय	क्रियान्वयन संस्था	किस्त प्रदाय की व्यवस्था	राशि
प्रथम वर्ष	साल में दो बार,	अ. पंचायत	पहले साल में दो किस्तें। पहली किस्त अग्रिम के रूप में। दूसरी किस्त की मांग पूर्व किस्त के 60 प्रतिशत के उपयोग उपरान्त निर्धारित प्रपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित करना अनिवार्य।	अ पंचायत को साल में दो बार उनके हिस्से के कार्यों के लिये प्रावधानित राशि का 15–15 प्रतिशत। पहले साल में सकल देय राशि = कुल लागत का 30 प्रतिशत तक।
	साल में दो बार,	ब. पी॰आई॰ए॰	उपरोक्तानुसार	ब. पी.आई.ए. को साल में दो बार उनके हिस्से के कार्यों के लिये प्रावधानित राशि का 15 –15 प्रतिशत। पहले साल में सकल देय राशि = कुल लागत का 30 प्रतिशत तक।
द्वित्तीय वर्ष	साल में दो बार,	अ. पंचायत	प्रत्येक किस्त, पूर्व अवशेष के 60 प्रतिशत के उपयोग उपरान्त। अगली मांग निर्धारित प्रपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर करना अनिवार्य।	अ: पंचायत को द्वित्तीय वर्ष में दो बार उनके हिस्से के कार्यों के लिये प्रावधानित राशि का 25–25 प्रतिशत। सकल देय राशि = कुल लागत का 50 प्रतिशत तक।

(उप copy) 81

	साल में दो बार,	ब. पी॰आई॰ए॰	प्रत्येक किस्त की मांग निर्धारित प्रपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्व अवशेष के 60 प्रतिशत के उपयोग उपरान्त।	ब. पी.आई.ए. को द्वित्तीय वर्ष में दो बार उनके हिस्से के कार्यो के लिये प्रावधानित राशि का 25–25 प्रतिशत। सकल देय राशि = कुल लागत का 50 प्रतिशत तक।
तृत्तीय वर्ष	साल में दो बार,	अ. पंचायत	पांचवीं किस्त की मांग निर्धारित प्रपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर, पूर्व अवशेष के 60 प्रतिशत के उपयोग उपरान्त। अन्तिम किस्त में पंचायत को देय राशि, उनके लिये प्रावधानित कार्यों के अवशेष की सीमा में होगी। मांग हेतु प्रावधानित प्रमाणपत्र आवश्यक	अ. पंचायत को तृत्तीय वर्ष में दो बार उनके हिस्से के कार्यो के लिये प्रावधानित राशि का 15–05 प्रतिशत। तीसरे साल में सकल देय राशि = कुल लागत का 20 प्रतिशत तक।
	साल में दो बार,	ब. पी॰आई॰ए॰	पांचवीं किस्त की मांग निर्धारित प्रपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर, पूर्व अवशेष के 60 प्रतिशत के उपयोग उपरान्त। अन्तिम किस्त में पी. आई.ए. को देय राशि, उनके लिये प्रावधानित कार्यों के अवशेष की सीमा में होगी। मांग हेतु प्रावधानित प्रमाणपत्र आवश्यक	ब. पी.आई.ए. को तृतीय वर्ष में दो बार उनके हिस्से के कार्यो के लिये प्रावधानित राशि का 15–05 प्रतिशत। तीसरे साल में सकल देय राशि = कुल लागत का 20 प्रतिशत तक।

टीप – योजना समाप्ति पर अवशेष राशि जिला पंचायत को वापिस की जावेगी।

80